राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
46/22	07.07.22	26.12.24

बउनवान

1. बद्रीप्रसाद पुत्र गील्या निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. रमेश मीना पुत्र हरजी मीना निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
2. अधिशासी अभियंता जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड महवा जिला दौसा।
3. A.E.N. जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड मण्डावर जिला दौसा।
4. J.E.N. जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड मण्डावर जिला दौसा।
5. जगदीश पुत्र देवपाल निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
6. जगफूल पुत्र घीस्या निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
7. मानसिंह पुत्र देवपाल निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
8. रामगोपाल पुत्र गंगासहाय निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
9. रामप्रसाद पुत्र धीस्या निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
10. हुकम पुत्र देवपाल निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
11. कपिल मुनी पुत्र ओमप्रकाश निवासी मुनापूरा तहसील मण्डावर जिला दौसा।
12. नर्वदा देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी मुनापूरा तहसील मण्डावर जिला दौसा।
13. राजीव कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी मुनापूरा तहसील मण्डावर जिला दौसा।
14. रामदुलारी पत्नी शिवचरण निवासी बनावड तहसील मण्डावर जिला दौसा।
15. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।

...अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री जितेन्द्र गुर्जर।
2. अप्रार्थी सं. 1 – रमेश मीना।
3. अप्रार्थी सं. 2,3,4 – श्याम सुन्दर सैनी, सहायक अभियन्ता (पवस) जयपुर डिस्कॉम।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी खसरा सं. 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1555, खसरा सं. 1556 रास्ते का है जिसमे पोल स्थित है, कुल किता 9 रकबा 5.30 हैक्टे. वाके ग्राम कोट तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 लगायत 12 के नाम राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार दर्ज है। विवादित आराजी के भू–प्रबन्धन से पूर्व खसरा सं. 438

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

रकबा 21 बीघा रहा है। प्रार्थी की आराजी गत खसरा सं. 438 के दक्षिण में खसरा सं. 431 रास्ता है जिसका भू प्रबन्धन के बाद नवीन खसरा सं. 1556 बनाये गये है तथा रास्ते की आराजी के पश्चात आराजी खसरा सं. 443 स्थित है। खसरा सं. 431 रास्ता की आराजी है तथा गत खसरा सं. 431 से बनाये गये नवीन खसरा सं. 1556 के नवीन नक्शा ट्रेस को गत नक्शा ट्रेस से भिन्न भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बनाया गया है जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा उक्त नवीन ट्रेस को मनमाने तरीके से बना दिया है जिसमें वादी के अधिकारो का हनन हो रहा है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही प्रारम्भ से ही शुन्य व बेअसर है। भू–प्रबन्ध विभाग को पूर्व नक्शा के अनुसार ही बनाना चाहिए था किन्तु अन्य खातेदारों से मिल कर उनको अनावश्यक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह कार्यवाही की गयी है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी उक्त गलती से प्रार्थी की आराजी का रकबा कम हो रहा है तथा प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है। इस गलती से राजस्व अभिलेख में आई भिन्नता से प्रार्थी की खातेदारी का रकबा के अनुसार पूर्ण नहीं हो पा रहा है तथा अप्रार्थीगण, राजस्व कर्मचारियों की उक्त गलती का नाजायज फायदा उठा कर प्रार्थी को उनकी खातेदारी आराजी से बेदखल करना चाहते हैं जबकि प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी पर शुरू से ही काबिज है तथा आराजी का उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। विवादित आराजीयात के गत नक्शा ट्रैस व वर्तमान नक्शा ट्रैस को देखने से भी प्रतीत होता है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा ट्रेस अप्रार्थीगण को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गलती की है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना इस प्रकार की राजस्व अभिलेख में भिन्नता की है। उक्त इन्द्राज की आड मे अप्रार्थीगण, प्रार्थी को उनकी खातेदारी, कब्जा काश्त की आराजी से बेदखली पर आमादा है तथा अप्रार्थीगण ने दिनांक 22.06.22 को प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि हम, तुमको तुम्हारी आराजी से बेदखल कर कब्जा करेंगे तथा नवीन रास्ता निकालेंगे। यदि अप्रार्थीगण अपनी धमकी में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। दिनांक 22.06.22 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की विवादित आराजीयात की आराजी लाठी के बल पर करने की ऐलानिया धमकी देने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर उसको पाबंद करवाना आवश्यक है। प्राइमाफेसी केस प्रार्थी के पक्ष मे बखूबी साबित है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं करने पर प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जबकि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने पर उसे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से दौराने दावा पाबंद फरमाया जावे कि आराजी खसरा सं. 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1555, खसरा नम्बर 1556 रास्ते का है जिसमें पोल स्थित है, वाके ग्राम कोट तहसील मण्डावर जिला दौसा में प्रार्थी के कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें और ना ही अवरोध उत्पन्न करें, उक्त कार्य न तो स्वयं करें, न ही नौकरों व एजेन्टों से करावें।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण आराजी खसरा सं. 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1555, 1556 ग्राम कोट तहसील मण्डावर के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 15 न्यायालय में अनुपस्थित रहे, इसलिए इनका जवाब का अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी सं. 1 रमेश मीना की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण खाते के नम्बरों का सही ब्योरा नही है। खाते का खसरा सं. 1548 रकबा 0.03 ऐयर जानबूझकर नहीं दर्शाया है। खसरा सं. 1556 का रकबा 0.04 ऐयर गै. मु. रास्ता है जो नहीं दर्शाया है। खसरा सं. 1556 एक अलग राजस्थान सरकार के खाते का नम्बर है जो मौके पर सदैव से रास्ते के रूप में आवागमन हेतु काम आ रहा है। विद्युत पोल रास्ते के बीच में स्थित चला आ रहा है जो काम नहीं आ रहा है, पहले से ही रास्ते आम में बीच में है जो यूजलैस है जिससे प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नही है। अप्रार्थी सं. 2, 3, 4 किसी भी नम्बर में खातेदार नहीं हैं। प्रार्थी के कथन गलत है। इतना पता है कि मौके पर जो नया खसरा सं. 1556 रास्ते का है, वह पचासों वर्षो से तदनुसार ही आवागमन उँटगाडी, ट्रैक्टर, राहगीरों व अन्य कार्यों के रास्ते के रूप में सतत चालू है तथा काम आ रहा है। खसरा सं. 1556 का ट्रेस पुराने ट्रेस ख. सं. 431 से बिल्कुल समान है, कोई भिन्नता नही है। प्रार्थी ने यह नही बताया कि किस दिशा में क्या भिन्नता है या किस दिशा में रकबा की क्या स्थिति दर्शायी थी तथा क्या दुरुस्ती होनी है। प्रार्थी वास्तविकता में ख. सं. 1556 गै. मु. रास्ते की भूमि पर कब्जा करना चाहता है तथा अपने खेतों में उक्त रास्ते की भूमि को मिलाना चाहता है। किसी भी खातेदार ने कोई गलत कार्यवाही नही कराई है। भू–प्रबन्ध विभाग ने मौके पर जांच कर सही नक्शा पूर्वानुसार बनाया है। प्रार्थी का कोई रकबा कम नहीं हो रहा है, न ही उसे कोई क्षति हो रही है। प्रार्थी की न तो भूमि कम ही हुई है, न ही राजस्व रिकार्ड में भिन्नता है। क्या भिन्नता, कितने रकबे की आई है, किधर आई है, दर्शित नहीं है, अप्रार्थीगण कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं। ट्रैस एकदम स्पष्ट है, रास्ता दर्शित है। भू–प्रबन्ध विभाग ने सही ट्रैस तैयार कर पूर्वानुसार मौके की जॉच कर मौके पर तैयार किया है तो किसी सक्षम न्यायालय के आदेश की जरूरत नहीं है। दिनांक 22.06.22 को प्रार्थी को किसी ने कोई धमकी नहीं दी, विद्युत विभाग वाले क्यों धमकी देने लगे तथा नया रास्ता क्यों निकालने लगे जब पहले से ही खसरा सं. 1556 रास्ता सरकारी मौजूद है। प्रार्थी को कोई क्षति नहीं है। प्रार्थी सरकारी रास्ते पर कब्जा करना चाहता है, उसे कोई क्षति नहीं है, ना ही उसका प्राइमफेसी केस साबित है। प्रार्थी खसरा सं. 1556 रास्ता व पोल की आड में उक्त नम्बरान को अपने खेतों में दर्शाकर सरकारी भूमि व पोल पर कब्जा करना चाहता है। खसरा सं. 1556 काश्त के लायक न होकर गै. मु. रास्ता है। प्रार्थी ने कुछ माह पूर्व खसरा सं. 1556 गै. मु. रास्ते की भूमि पर रास्ता अवरूद्ध कर अतिक्रमण कर पुख्ता चारदीवारी कर दी थी जिससे आगे अप्रार्थी सं. 1 के

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

खेतों का रास्ता व अन्य खाते वालों का राहगीरों का रास्ता अवरूद्ध हो गया व खेत वालों को आवागमन में परेशानी हुई तो उन्होंने तहसीलदार मण्डावर को उक्त सन्दर्भ में शिकायत की तो दि. 07.06.22 को तहसीलदार मण्डावर पुलिस जाब्ता, पटवारी, गिरदावर खेतों के पडौसी खातेदार अन्य लोगो के समक्ष फर्द मौका सीमाज्ञान कर उक्त अतिक्रमण को जेसीबी से हटवाकर उक्त रास्ता चालू करवा दिया। फर्द मौका तैयार कर सभी ने हस्ताक्षर किये परन्तु प्रार्थी पुनः उक्त रास्ते पर झूठा दावा कर झूठे तथ्य दर्शाकर पुनः रास्ता भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थी ने स्थगन पाने को विद्युत विभाग को गलत पक्षकार बनाया है, विभाग की कोई भूमिका ही नही है, रास्ते मे पोल का कोई यूज ही नहीं है। विद्युत विभाग के खिलाफ दावा करने का प्रार्थी को कोई बिनाय दावा ही पैदा नही होता है। मुख्य विवाद खसरा सं. 1556 रास्ते की भूमि का है। प्रार्थी रास्ता बन्द कर उक्त भूमि अपने खेतों में मिलाना चाहता है ताकि आगे खसरा सं. 1541 वाले, आबादी वाले व अन्य खेतों वाले परेशान होते रहे। प्राइमफेसी केस अप्रार्थीगण के पक्ष में है, स्पष्ट रास्ते का खाता है। असुविधा प्रार्थी के बजाय कई खेत वालों, मकान वालों व राहगीरों को है। कानूनन भी रास्ते से सम्बन्धित विवाद सुनने का न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार भी नही है। प्रार्थनापत्र इसी बिना पर खारिज होने योग्य है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वास्तविकता को छिपाकर झूठे कथनों पर पेश किया है। अभिवचन भी वेग है व अस्पष्ट है, सही ट्रेस को भी गलत तौर से बिना आधार के झूठा बनाकर रास्ते की भूमि को प्रार्थी अपने खाते में मिलाना चाहता है। कानूनन भी संयुक्त खाते में सह पक्षकार खातेदार को पाबन्द नहीं फरमाया जा सकता है। प्रार्थी को बेवजह पक्षकार बनाया गया है।

अप्रार्थी सं. 2,3,4 की ओर से प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए तथा विद्युत विभाग से सम्बंधित नहीं होना बताते हुए जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि खसरा नम्बरान पूर्ण नहीं है, खसरा सं. 1548 रकबा 0.03 ऐयर दर्ज नहीं है तथा खसरा सं. 1556 का रकबा 0.04 ऐयर है, खातेदारी राजस्थान सरकार की है जबकि प्रार्थी ने खसरा सं. 1556 का रकबा ही नहीं दर्शाया है, इस मद की अभिवचन अधूरी है। दि. 22.6.22 को प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने कोई धमकी नहीं दी, न ही वह कार्यालय में ही उक्त दिवस आया है। प्रार्थी को कोई क्षति नहीं है। विशेष उज्रात मजीद में वर्णित है। प्रार्थी झूटे तथ्य दर्शाकर स्थगन चाहता है तथा सरकारी रास्ते को बंद कर खसरा सं. 1556 गै. मु. रास्ते पर कब्जा करना चाहता है। विद्युत विभाग को गलत पक्षकार बनाया गया है, उनका न तो कोई कृत्य दर्शाया है, न ही वे खातेदार हैं। उनके खिलाफ कोई विनाय दावा उत्पन्न नहीं होता है। न्यायालय हाजा को रास्ता से सम्बन्धित मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। खसरा सं. 1556 किस्म गै.मु रास्ता है, पक्षकारान प्रार्थी उस पर कब्जा करना चाहते हैं, पक्षकारों का आपसी विवाद है। पहले से रास्ते में बीच में पहले का ही पोल खडा है जिस पर सिंगल केबल खिंची है। न्यायालय आदेशित करे तो उसे हटाया जा सकता है, उससे रास्ते में व्यवधान भी हो रहा है। प्रार्थी ने झूठा दावा कर रास्ते की सरकारी भूमि को हडपने का प्रयास किया है। क्या संशोधन, दुरुस्ती कितनी किधर होनी है, नहीं दर्शाया है। अभिवचन प्रार्थना पत्र अस्पष्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी

है। प्रार्थी के खिलाफ कोई प्राईमाफैसी साबित नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रथमतः ही उक्त न्यायालय में गलत पेश किया है, पहले उसे विभागीय समझौता समिति में कार्यवाही करनी चाहिये थी, ऐसे दावे सिविल कोर्ट से बार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खारिज करें।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र तथा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र को निर्णीत किया जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र इन्द्राज दुरुस्ती नक्शा ट्रेस तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजीयात के खाता की जमाबंदी से यह तथ्य स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात में प्रार्थी 13/126 हिस्से का रिकार्डेड, सहखातेदार है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। विवादित आराजीयात के नक्शा ट्रेस में भू–प्रबंध विभाग द्वारा भिन्नता किये जाने या नहीं किये जाने का प्रश्न मूल वाद में साक्ष्य की प्रक्रिया के उपरान्त ही तय हो सकेगा, तब तक यदि अप्रार्थीगण के द्वारा वादी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है अथवा उक्त आराजी में वादी के कब्जे में किसी तरह से उपभोग उपयोग में बाधा उत्पन्न की जाती है तो वादी को अपूरणीय क्षति होना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। इसके अतिरिक्त खसरा सं. 1556 रास्ता की भूमि है तथा उभय पक्षकारों के द्वारा भी ये स्वीकार किया गया है कि यह खसरा लम्बे समय से रास्ता के उपयोग में ही आ रहा है। खसरा सं. 1556 के सम्बन्ध में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रहने से अप्रार्थीगण को तथा इस रास्ते का उपयोग करने वाले आमजन को भारी परेशानी होगी तथा रास्ते के उपयोग के अधिकार का हनन होगा। इस कारण खसरा सं. 1556 के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के तीनों बिंदु प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के तीनों बिंदु खसरा सं. 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1555 के सम्बन्ध में प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध सम्बद्ध मूल वाद लम्बित रहने की अवधि तक अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है। इसके अतिरिक्त खसरा सं. 1556 के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के तीनों बिंदु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने के कारण खसरा सं. 1556 के सम्बन्ध में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.07.22 के प्रचलन को समाप्त किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोट तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1555 के सम्बन्ध में जारी की गयी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.07.22 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, संपुष्ट **(Confirm)** किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 01 लगायत 15 के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थी सं. 01 लगायत 15, विवादित आराजीयात खसरा सं. 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1555 वाके ग्राम कोट तहसील मण्डावर जिला दौसा में, मूल वाद के निर्णीत होने तक, प्रार्थी के कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा और अवरोध उत्पन्न नहीं करे। इसके साथ ही, खसरा सं. 1556 (जो कि रास्ते का है और जिसमें पोल स्थित है), के सम्बन्ध में अप्रार्थी सं. 01 लगायत 15 के विरुद्ध जारी की गयी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.07.22 के प्रचलन को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 26.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)